न्यायालय सहायक कलक्टर ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 46 / 2020

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
पहाड़सिंह वल्द जयसिंह जाति राजपूत निवासी दईपुर तहसील रानीवाडा		1. अर्जुनसिंह वल्द जयसिंह 2. मूलसिंह वल्द जयसिंह 3. उतमसिंह वल्द मानसिंह 4. कल्याणसिंह वल्द मानसिंह 5. ना. राधुसिंह वल्द मानसिंह संरक्षक भाई उतमसिंह वल्द मानसिंह 6. रामसिंह पुत्र मानसिंह 7. ना. सीन्टूकंवर पुत्री स्व. मानसिंह संरक्षक भाई उतसिंह पुत्र मानसिंह 8. गजेसिंह पुत्र रूगसिंह 9. छगनकंवर पत्नि रूगसिंह 10. हरिसिंह पुत्र रूगसिंह 11. भगवानसिंह पुत्र रूगसिंह 12. डुंगरसिंह पुत्र अमरसिंह 13. तेजसिंह पुत्र अमरसिंह 14. शेरसिंह पुत्र अमरसिंह 15. दुर्गसिंह पुत्र भवानीसिंह 16. सवसिंह पुत्र भवानीसिंह 17. भंवरसिंह पुत्र विरदसिंह 18. वनेसिंह पुत्र विरदसिंह जातियान राजपूत निवासीयान दईपूर 19. पूनमाराम वल्द सवाराम 20. मफाराम वल्द सवाराम जातियान मेघवाल निवासीयान दईपूर तहसील रानीवाडा 21. तहसीलदार भूमिधारी रानीवाडा 22. शाखा प्रबंधक एसबीआई शाखा रानीवाडा 23. शाखा प्रबंधक आईसीआईसीआई बैंक शाखा रानीवाडा 24. शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ इंडिया शाखा रानीवाडा

दावा बाबत बंटवाड़ा खातेदारी आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. वादीगण अधिवक्ता श्री पूखराज विश्नोई।
2. प्रतिवादी संख्या 21 राजपेरोक[illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.02.02 14:38:31 IST
Reason: SelfAttested

::निर्णय::

दिनांक 04.01.2024

1. वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व राजस्था[illegible] काश्तकारी अधिनिय[illegible] 1955 अंतर्गत धारा 53, 188 बाबत् बंटवाडा खातेदारी आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश

किया है। जिनके तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि मौजा दईपूर में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 के सामलाती एवं संयुक्त खातेदारी की पुश्तैनी कृषि भूमि जिसके खाता संख्या 264 के खसरा संख्या 522 रकबा 0.86 हैक्टेयर, खसरा संख्या 523 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा संख्या 524 रकबा 0.34 हैक्टेयर कुल रकबा 1.36 हैक्टेयर आयी हुई है। व खाता संख्या 205 में खसरा संख्या 216, 217, 218, 670, 671 कुल रकबा 0.68 हैक्टेयर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 18 की सामलाती खातेदारी कृषि भूमि आयी हुई है। इसी प्रकार मौजा दईपूर में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 27 के सामलाती एवं संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि जिनके खाता संख्या 261 के खेत खसरा संख्या 248, 642, 643, कुल रकबा 4.88 हैक्टेयर आयी हुई है। इसी प्रकार मौजा दईपूर में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 20 तक के नाम सामलाती एवं संयुक्त खातेदारी आराजी खाता संख्या 262 मे खसरा संख्या 645 रकबा 3.25 हैक्टेयर आराजी आयी हुई है।

उक्त सम्पूर्ण आराजीयान में वादी अपने नाम दर्ज पुश्तैनी रूप से खातेदारी हक एवं हिस्से अनुसार मौके पर कब्जा काश्त एवं भूमि के उपयोग–उपभोग की सुविधा अनुसार कई वर्षो पूर्व हुए मौके पर अलग–अलग हिस्से पर लगातार कई वर्षो से बिज काश्त चले आ रहे है तथा अपने –अपने काश्त करते आ रहे है तथा राजस्व रेकर्ड में उक्त कृषि भूमि सामलाती दर्ज है।

2. उक्त संयुक्त खातेदारी की पुश्तैनी आराजी में भविष्य को देखते हुए अपने अपने नाम दर्ज खातेदारी हिस्से के बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के सिद्वान्त के आधार पर मौके पर कब्जा काश्त एवं भूमि के उपयोग उपभोग की सुविधा एवं आवागमन के रास्ते की सुगमता को मदद्नेजर रखते हुए विभाजन करने हेतु वादी ने प्रतिवादीगण 1 से 20 को प्रेम पूर्वक दिनांक 14.12.2019 को निवेदन किया तब पहले तो आज कल मे करवने के झूठे झांसे देते रहे तथा जब वादी ने अपनी सुविधानुसार उक्त विभाजन मौके स्थिति पर कब्जा काश्त अनुसार करवाने का प्रस्ताव प्रेम पूर्वक फिर से रखा तो सभी प्रतिवादीगण ने कडा ऐतराज करते हुए असहमति प्रकृत करते हुए उक्त सामलाती कृषि भूमि का विभाजन करवाने से साफ मुकर गये। तथा वादी को ऐलानियां धमकी दी कि हम बिना विभाजन करवाये ही उक्त तुम्हारे बंट की आने वाली समस्त कृषि भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर तुम्हे लाठी के बल पर मारपीट कर बेदखल कर अपरिचित क्रेताओ को भूमि का विक्रय पर अवैध कब्जा करवा देगे, तथा उक्त सामलाती आराजी का विभाजन नही होने देगें। जिससे आहत होकर वादी उक्त आराजी के समस्त राजस्व रेकर्ड की नकले दिनांक 17.12.2019 के निकाल कर विभाजन करने कृषि भूमि बाई मिट्स एण्ड बाउण्टस के आधार पर करवाने का वादी अधिकारी है।

3. वादी की ओर से वाद में इस्तदुआ की है कि मौजा दईपूर में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 20 के सामलाती एवं संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि जिनके खाता संख्या 264 के खसरा संख्या 522, 523, 524 कुल रकबा 1.36 हैक्टेयर में वादी का 9/136 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 3/68 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 25/136 हिस्सा, व प्रतिवादी संख्या 3 से 7 के 9/170 हिस्सा एवं मौजा दईपूर के खाता संख्या 205 के खसरा संख्या 216, 217, 218, 670, 671 कुल रकबा 0.68 हैक्टेयर में वादी का 1/24 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/24 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 से 7 के प्रत्येक का 1/40 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 8 का

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.02.02 14:38:31 IST
Reason: SelfAttested

7/96 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 9 का 1/32 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 10 व 11 का 7/96 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 12 से 14 के 1/24 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 15 व 16 के 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 17 व 18 का 1/16 हिस्सा व खाता संख्या 261 में खसरा संख्या 248, 642, 643 कुल रकबा 4.88 हैक्टेयर में वादी का 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 से 7 प्रत्येक के 1/10 हिस्सा एवं खाता संख्या 262 के खसरा संख्या 645 रकबा 3.25 हैक्टेयर में वादी का 38/325 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 से 2 प्रत्येक के 38/325 हिस्सा व प्रतिवादी 3 से 7 के 163/625 वा हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 19 से 20 के 24/325 वा हिस्सा के मौके पर कब्जा काश्त व आवागमन की सुविधा अनुसार भूमि के उपभोग के आधार पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर हर खाते में दर्ज खातेदारी हक राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हक हिस्से अनुसार बहक वादी बर खिलाफ प्रतिवादी संख्या 1 से 20 कृषि भूमि के विभाजन की डिक्री सादर फरमावें। साथ ही प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त में व भूमि के उपयोग उपभोग में दखलंदाजी करने से रोकन हेतु प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री सादिर फरमावें।

4. वादी का दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को समन जारी किये गए। प्रतिवादी संख्या 1 से 20 व 22 से 24 बाद तामिल अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई। व प्रतिवादी संख्या 21 राजपेरोकार द्वारा जवाब नहीं दिया गया।

5. दिनांक 03.03.2021 को न्यायालय द्वारा वादी अधिवक्ता के निवेदन पर विवादीत आराजी मौजा दईपूर के खाता संख्या 264 के खसरा नम्बर 522, 523, 524 रकबा क्रमश 0.86, 0.16, 0.34 हैक्टेयर व खाता संख्या 205 के खसरा नम्बर 216, 217, 218, 670, 671 रकबा क्रमश 0.26, 0.24, 0.06, 0.01, 0.11 हैक्टेयर, खाता संख्या 261 मे खसरा नम्बर 248, 642, 643 रकबा क्रमश 2.07, 2.37, 0.44 हैक्टेयर व खाता संख्या 262 में खसरा नम्बर 645 रकबा 3.25 हैक्टेयर आराजी पर सहखातेदारों के बीच रास्ते की सुविधा देते हुए हक–हिस्से व कब्जा–काश्त को ध्यान में रखते हुए बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड के जरिये बंटवाडा प्रस्ताव के प्राथमिक डिक्री के आदेश तहसीलदार रानीवाडा को किये गये। तथा तहसीलदार रानीवाडा को पत्रांक/कोर्ट/2021/301 दिनांक 15.03.2021 के द्वारा तहसीलदार रानीवाडा से प्राथमिक डिक्री की पालना मंगवाई गई। जिस पर तहसीलदार रानीवाडा द्वारा कब्जा काश्त अनुसार बंटवारा प्रस्तावित कर पत्रांक/राजस्व/2023/131 दिनांक 24.02.2023 से इस न्यायालय को प्रस्तुत किये हैं।

6. तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव पर उपस्थित पक्षकारान को पढकर सुनाया गया । वादी के विद्वांन अधिवक्ता को सुना गया, जिनके द्वारा किसी प्रकार की विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति नहीं करते हुए सहमति प्रकट की एवं आदेर्शिका पर हस्ताक्षर किये। अतः तहसीलदार रानीवाड़ा से प्राप्त प्राथमिक डिक्री अनुसार बंटवाडा किया जाना उचित प्रतित होता है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 20 के बीच बंटवारा निम्नानुसार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.02.02 14:38:31 IST
Reason: SelfAttested

क्र. सं.	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टे0 में	बंटवाडे में आया रकबा हैक्ट0 में	किस्म	नक्शा ट्रेश में अंकित रंग कलर)	लगान राशि
1.	पहाड़सिंह पुत्र जयसिंह जाति राजपूत सा. देह खातेदार **रहन – बीओआई व एसबीआई शाखा रानीवाडा**	670	0.01	0.01	गै.मू. बेरा	नीला	–
		671	0.11	0.01	चा.उ.		0.46
				0.01	जा.उ.		0.10
		522	0.86	0.73	चा.दो.		21.17
				0.13	जा.दो.		1.04
		523	0.16	0.16	चा.दो.		4.64
		524	0.34	0.26	चा.दो.		7.54
2	अर्जूनसिंह पुत्र जयसिंह जाति राजपूत 1/2 रहन– बीओआई शाखा रानीवाडा ,मूलसिंह पुत्र जयसिंह जाति राजपूत 1/2 रहन– बीओआई शाखा रानीवाडा	642	2.37	2.37	बा.दो.	आसमानी	7.11
		645	3.25	0.45	बा.दो.		1.35
		524	0.34	0.04	चा.दो.		1.16
				0.04	जा.दो.		0.32
3	उतमसिंह पुत्र मानसिंह हिस्सा 1/5, कल्याणसिंह पुत्र मानसिंह हिस्सा 1/5, राघुसिंह पुत्र मानसिंह हिस्सा 1/5, रामसिंह पुत्र मानसिंह हिस्सा 1/5, सीन्टुकंवर पुत्री मानसिंह हिस्सा 1/5, जातियान राजपूत सा. देह खातेदार ,रहन– एसबीआई शाखा रानीवाडा	248	2.07	2.07	बा.दो.	पीला	6.21
		643	0.44	0.44	बा.दो.		1.32
		645	3.25	2.32	बा.दो.		6.96
4	अर्जूनसिंह पुत्र जयसिंह हिस्सा 1/16, रहन– बीओआई शाखा रानीवाडा, मूलसिंह पुत्र जयसिंह हिस्सा 1/16 रहन– बीओआई रानीवाडा, उतमसिंह पुत्र मानसिंह हिस्सा 1/40, कल्याणसिंह पुत्र मानसिंह हिस्सा 1/40, राघुसिंह पुत्र मानसिंह हिस्सा 1/40, रामसिंह पुत्र मानसिंह हिस्सा 1/40, सीन्टुकंवर पुत्री मानसिंह हिस्सा 1/40, गजेसिंह पुत्र रूगसिंह हिस्सा 7/96,	216	0.26	0.26	बा.दो.	हरा	0.78
		217	0.24	0.24	बा.दो.		0.72
		218	0.06	0.06	बा.दो.		0.18
		671	0.11	0.08	चा.उ.		3.68
				0.01	जा.उ.		0.10

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.02.02 14:38:31 IST
Reason: SelfAttested

	छगनकंवर पत्नि रूगसिंह हिस्सा 1/32, भगवानसिंह पुत्र रूगसिंह हिस्सा 7/96, हरिसिंह पुत्र रूगसिंह हिस्सा 7/96, डुंगरसिंह पुत्र अमरसिंह हिस्सा 1/24, तेजसिंह पुत्र अमरसिंह हिस्सा 1/24, शेरसिंह पुत्र अमरसिंह हिस्सा 1/24, दुर्गसिंह पुत्र भवानीसिंह हिस्सा 1/8, सवसिंह पुत्र भवानीसिंह हिस्सा 1/8, भंवरसिंह पुत्र विरदसिंह हिस्सा 1/16, वनेसिंह पुत्र विरदसिंह हिस्सा 1/16						
5.	मफाराम पुत्र सवाराम हिस्सा 1/2, पुनमाराम पुत्र सवाराम हिस्सा 1/2 जाति मेघवाल निवासी सा. देह खातेदार	645	3.25	0.48	बा.दो.	सुनहरा	1.44

7. उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मोमीया नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा को आदेशित किया जाता है। तथा उक्त बंटवारा अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के हक में प्राप्त आराजी के सम्बन्ध में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे न किसी अन्य से करावें इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है।

पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे।

(भागीरथ राम)
सहायक कलेक्टर
रानीवाडा जिला–जालोर

निर्णय आज दिनांक 04.01.2024 से सरे इजलाज सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला–जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.02.02 14:38:31 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल्स 6–7, जाब्ता दीवानी)

(civil procedure code, Appendix “D”-1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर रानीवाडा जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस.

वादी		प्रतिवादीगण
पहाड़सिंह वल्द जयसिंह जाति राजपूत निवासी दईपुर तहसील रानीवाडा	बनाम	1. अर्जुनसिंह वल्द जयसिंह 2. मूलसिंह वल्द जयसिह 3. उतमसिंह वल्द मानसिंह 4. कल्याणसिंह वल्द मानसिंह 5. ना. राधुसिंह वल्द मानसिंह संरक्षक भाई उतमसिंह वल्द मानसिंह 6. रामसिंह पुत्र मानसिंह 7. ना. सीन्टूकंवर पुत्री स्व. मानसिंह संरक्षक भाई उतसिंह पुत्र मानसिंह 8. गजेसिंह पुत्र रूगसिंह 9. छगनकंवर पत्नि रूगसिंह 10. हरिसिंह पुत्र रूगसिंह 11. भगवानसिंह पुत्र रूगसिंह 12. डुंगरसिंह पुत्र अमरसिंह 13. तेजसिंह पुत्र अमरसिंह 14. शेरसिंह पुत्र अमरसिंह 15. दुर्गसिंह पुत्र भवानीसिंह 16. सवसिंह पुत्र भवानीसिंह 17. भंवरसिंह पुत्र विरदसिंह 18. वनेसिंह पुत्र विरदसिंह जातियान राजपूत निवासीयान दईपूर 19. पूनमाराम वल्द सवाराम 20. मफाराम वल्द सवाराम जातियान मेघवाल निवासीयान दईपूर तहसील रानीवाडा 21. तहसीलदार भूमिधारी रानीवाडा 22. शाखा प्रबंधक एसबीआई शाखा रानीवाडा 23. शाखा प्रबंधक आईसीआईसीआई बैंक शाखा रानीवाडा 24. शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ इंडिया शाखा रानीवाडा

अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 46 / 2020

यह मुकदमा आज इनफिसाल कत्तई रूबरू पक्षकारान व हाजरी वादी की ओर से वकील श्री पूखराज विश्नोई उपस्थित, प्रतिवादी [illegible] से 20 व 22 से 24 की ओर से की ओर से एकपक्षीय कार्यवाही होने से कोई उपस्थित नहीं। प्रतिवादी संख्या 21 राजपेरोकार उपस्थित, मनजानिव मुद्रायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि तहसीलदार रानीवाड़ा द्वारा उक्त प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.02.02 14:38:31 IST
Reason: SelfAttested

क.सं.	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टे0 में	बंटवाडे में आया रकबा हैक्ट0 में	किस्म	नक्शा ट्रेश में अंकित रंग कलर)	लगान राशि
1.	पहाड़सिंह पुत्र जयसिंह जाति राजपूत सा. देह खातेदार **रहन – बीओआई व एसबीआई शाखा रानीवाडा**	670	0.01	0.01	गै.मू. बेरा	नीला	–
		671	0.11	0.01	चा.उ.		0.46
				0.01	जा.उ.		0.10
		522	0.86	0.73	चा.दो.		21.17
				0.13	जा.दो.		1.04
		523	0.16	0.16	चा.दो.		4.64
		524	0.34	0.26	चा.दो.		7.54
2	अर्जूनसिंह पुत्र जयसिंह जाति राजपूत 1/2 रहन– बीओआई शाखा रानीवाडा ,मूलसिंह पुत्र जयसिंह जाति राजपूत 1/2 रहन– बीओआई शाखा रानीवाडा	642	2.37	2.37	बा.दो.	आसमानी	7.11
		645	3.25	0.45	बा.दो.		1.35
		524	0.34	0.04	चा.दो.		1.16
				0.04	जा.दो.		0.32
3	उतमसिंह पुत्र मानसिंह हिस्सा 1/5, कल्याणसिंह पुत्र मानसिंह हिस्सा 1/5, राघुसिंह पुत्र मानसिंह हिस्सा 1/5, रामसिंह पुत्र मानसिंह हिस्सा 1/5, सीन्टुकंवर पुत्री मानसिंह हिस्सा 1/5, जातियान राजपूत सा. देह खातेदार ,रहन– एसबीआई शाखा रानीवाडा	248	2.07	2.07	बा.दो.	पीला	6.21
		643	0.44	0.44	बा.दो.		1.32
		645	3.25	2.32	बा.दो.		6.96
4	अर्जूनसिंह पुत्र जयसिंह हिस्सा 1/16, रहन– बीओआई शाखा रानीवाडा, मूलसिंह पुत्र जयसिंह हिस्सा 1/16 रहन– बीओआई रानीवाडा, उतमसिंह पुत्र मानसिंह हिस्सा 1/40, कल्याणसिंह पुत्र मानसिंह हिस्सा 1/40, राघुसिंह पुत्र मानसिंह हिस्सा 1/40, रामसिंह पुत्र मानसिंह हिस्सा 1/40, सीन्टुकंवर पुत्री मानसिंह हिस्सा 1/40, गजसिंह पुत्र रूगसिंह हिस्सा 7/96,	216	0.26	0.26	बा.दो.	हरा	0.78
		217	0.24	0.24	बा.दो.		0.72
		218	0.06	0.06	बा.दो.		0.18
		671	0.11	0.08	चा.उ.		3.68
				0.01	जा.उ.		0.10

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.02.02 14:38:31 IST
Reason: SelfAttested

	छगनकंवर पत्नि रूगसिंह हिस्सा 1/32, भगवानसिंह पुत्र रूगसिंह हिस्सा 7/96, हरिसिंह पुत्र रूगसिंह हिस्सा 7/96, डुंगरसिंह पुत्र अमरसिंह हिस्सा 1/24, तेजसिंह पुत्र अमरसिंह हिस्सा 1/24, शेरसिंह पुत्र अमरसिंह हिस्सा 1/24, दुर्गसिंह पुत्र भवानीसिंह हिस्सा 1/8, सवसिंह पुत्र भवानीसिंह हिस्सा 1/8, भंवरसिंह पुत्र विरदसिंह हिस्सा 1/16, वनेसिंह पुत्र विरदसिंह हिस्सा 1/16						
5.	मफाराम पुत्र सवाराम हिस्सा 1/2, पुनमाराम पुत्र सवाराम हिस्सा 1/2 जाति मेघवाल निवासी सा. देह खातेदार	645	3.25	0.48	बा.दो.	सुन हरा	1.44

उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मीमो नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा को आदेशित किया जाता है। तथा उक्त बंटवारा अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के हक में प्राप्त आराजी के सम्बन्ध में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे न किसी अन्य से करावें इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जाति है।

बशर्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 04.01.2024 को जारी की गई।

(भागीरथ राम)
सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला–जालोर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	2	00	स्टाम्प वकालतनामा	0	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	जवाबदावा	0	00
स्टाम्प वजह सबूत	0	00	स्टाम्प अर्जी	0	00
महनताना वकील	0	00	महनताना वकील	0	00
खर्चा गवाहान	0	00	खर्चा गवाहान	0	00
फीस कमीष्नर	0	00	फीस कमीश्नर	0	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00
मुतफरिक	0	00	मुतफरिक	0	00
मौजाना	3	00	मौजाना	0	00

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.02.02 14:38:31 IST
Reason: SelfAttested